

27/2/26

पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता अनुपरिचर
प्रतिवादीगण अनुपरिचर. न्यायालय द्वारा
द्वारा बार-बार आवाजे लगाने के
उपरान्त भी न्यायालय में उभयपक्ष
उपस्थित नहीं हुआ, वादी द्वारा न्यायालय
में शवा प्रस्तुत किया, न्यायालय को
अपेक्षा रहती है की वादी न्यायालय में
उपस्थित होकर अपना पक्ष रखे, लेकिन
न्यायालय में ~~उभयपक्ष~~ उभयपक्ष उपस्थित नहीं
हुआ इससे यह जाफिर होता है की उक्त
वाद में कोई नयी नतीजे देने पर प्रकरण
अदम-जापरी अदम पेशी में प्रकरण
इसी स्तर पर खारीज किया जाता है

पत्रावली निगीत होकर सरखासे
कम हो।

